**भारत सरकार**

**पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*10**

**24.11.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**तेलंगाना की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति**

**\*10- Jh nsosanj xkSM Vhñ%**

**D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%**

¼d½ D;k ;g lp gS fd rsyaxkuk esa 25]139 xzkeh.k cfLr;ksa esa ls dsoy 13]000 cfLr;ksa esa

iw.kZr;k is;ty lqfo/kk miyC/k gS vkSj 'ks"k cfLr;ksa esa ;k rks ;g lqfo/kk vkaf'kd :i ls miyC/k gS ;k miyC/k ugha gS ;k fQj ty dh xq.koÙkk Bhd ugha gS(

¼[k½ ;fn gka] rks ea=ky; dk bl laca/k esa n`f"Vdks.k D;k gS vkSj ea=ky; lHkh xzkeh.k cfLr;ksa esa is;ty miyC/k djkus gsrq jkT; ljdkj dks lgk;rk iznku djus gsrq D;k vuqiwjd iz;kl dj jgk gS( vkSj

¼x½ lHkh xzkeh.k ifjokjksa dks ikbi ds ek/;e ls is;ty miyC/k djkus gsrq 2011 ls 2022 rd ds fy, uhfrxr ;kstuk dgka rd ennxkj gksxh\

**उत्तर**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री**

**(श्री बीरेन्द्र सिंह)**

(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 24.11.2014 को उत्‍तर दिए जाने के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या \*10 के उत्‍तर में उल्‍ल‍िखि‍त विवरण**

(क) जी, हाँ। तथापि, 13,212 बसावटें पूर्ण रूप से कवर हैं, शेष आंशिक रूप से कवर या गुणवत्ता प्रभावित हैं।

(ख) पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल के प्रावधान के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता मुहैया कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन के संबंध में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त शोधन प्रोद्योगिकियों का चयन भी शामिल है, शक्तियां राज्यों के पास निहित हैं। तेलंगाना राज्य को, देश की ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों के तहत, सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) वर्ष 2011-2022 की अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की कार्यनीति के अनुसार, वर्ष 2017 तक सभी ग्रामीण परिवारों में से 50% परिवारों तक पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने और 35% ग्रामीण परिवारों तक घरेलू नल के कनेक्शन उपलब्ध कराने का अन्तरिम लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक, 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने और 80% परिवारों को नल के कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है।

\*\*\*\*\*\*